

महाराष्ट्र सरकार
जनरल एवं स्पेशल कोर्ट

287

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट
रीवा, (म.प्र.)

(411)



Rs. 40/-

निवारा 1609-II-15

राघवेन्द्र सिंह तनय श्री दलप्रताप सिंह, उम्री 75 वर्ष, पेशा रिटायर्ड नौकरी एवं कृषि,
निवासी ग्राम मुठिगवां, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी, (म.प्र.)

..... आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. विनोद कुमार सिंह तनय ददू सिंह, उम्री 45 वर्ष, पेशा नौकरी हेड कापिस्ट,
नकल सेक्शन कलेक्टर सीधी, (म.प्र.) निवासी ग्राम मुठिगवां, तहसील गोपद-
बनास, जिला सीधी, (म.प्र.)
2. दिनेश प्रताप सिंह तनय तेजबली सिंह, उम्री 52 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी
ग्राम मुठिगवां, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी, (म.प्र.) वर्तमान पता
शिवनगर, लूक हाउस के पीछे, तहसील हुजूर, जिला रीवा, (म.प्र.)
3. शासन मध्यप्रदेश।

..... अनावेदकगण / गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय,
529/कने. सीमा/ETSM/2015
सीधी, (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 87/2015/

2014-15 के आदेश दिनांक 06.04.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता 1959 ईस्वी।

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैं :-

1. यह कि आराजी नं. 521/3 के भूमि स्वामी निगरानीकर्ता/आवेदक
राघवेन्द्र सिंह तनय श्री दल प्रताप सिंह, निवासी ग्राम मुठिगवां, तहसील

राजस्व
316/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रावालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R1609-II/115 जिला-सीधी

राघवेन्द्र सिंह विरुद्ध विनोद बुनाईसिंह

(1)

(2)

(3)

1. आवेदक की ओर से श्री.रामेश्वर मुख्यमंत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक ५२९/कल./मीटा/१०१५ में पारित आदेश दिनांक ०६.५.१५ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2013 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २९.३.१९ को कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय, में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य

1. यह कि आराजी नं. 521/3 के भूमि स्वामी निगरानीकर्ता/आवेदक राघवेन्द्र सिंह तनय श्री दल प्रताप सिंह, निवासी ग्राम मुठिगवां, तहसील

21/6/15